न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या / 109 / 2019 दायर दिनांक 19.12.2019

उनवान

1. उदयलाल पिता हरलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

वादी।

बनाम

1. अम्बालाल पिता हरलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
2. शांतीलाल पिता हरलाल जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।
3. कंकू पुत्री प्यारा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन पत्नि रतनलाल खटीक निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
4. नन्दू पुत्री प्यारा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन पत्नि दलीचन्द जाति खटीक निवासी पारी तहसील भूपालसागर जिला चित्तौडगढ।
5. प्रेमी पुत्री प्यारा जाति खटीक आयु वयस्क निवासी लांगच तहसील कपासन पत्नि अमरचन्द खटीक निवासी रूद तहसील राशमी जिला चित्तौडगढ।
6. भूमिधारी तहसीलदार कपासन तहसील कार्यालय कपासन।

प्रतिवादीगण।

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट

निर्णय दिनांकः 31.03.2021

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–:निर्णयः–

वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89 आर.टी.एक्ट के इस आशय का प्रस्तुत किया कि मौजा लांगच तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.68 है0 , 346 रकबा 0.55 है0 , 347 रकबा 0.10 है0 , 349 रकबा 0.55 है0 , 352 रकबा 0.15 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.03 है0 स्थित है जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में मुझ वादी के 1/9 हिस्से से एवं मेरे दिगर भाईयों एवं अन्य सहखातेदारो के नाम पर संयुक्त खातेदारी से दर्ज है। उक्त आराजीयात के सह खातेदारी गंगाबाई एवं नाराणी का देहावसान हो गया है जिनके विधिक वारिस खातेदारी प्रतिवादी संख्या तीन, चार व पॉच है। नाराणी लाओलाद फोत हुई है। खातेदारी लालू का भी देहावसान हो चुका है जो ला औलाद फोत हुई है। [illegible] प्रतिवादी संख्या तीन, चार, व पॉच की माता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:05 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त आराजीयात के [illegible] में आराजी खसरा नम्बर 340 बटा 1 रकबा 1 बीघा, 341 बटा 1 रकबा 4 बिस्वा, 4[illegible] बटा 1 रकबा 8 बीघा 4 बिस्वा कुल

कीता 03 कुल रकबा 09 बीघा 08 बिस्वा थे जो राजस्व रेकार्ड में श्री लालू 1/3, प्यारा 1/3, हरलाल 1/3 पिता होकमा खटीक निवासी लांगच के नाम से खातेदारी से दर्ज थी। तीनो खातेदारों का देहावसान हो चुका है।

उपरोक्त साबिक आराजीयात खसरा नम्बर में से खातेदारी लालू पिता होकमा का 1/3 हिस्सा मुझ प्रार्थी ने जरिये पंजीकृत बहनामा दिनांक 08/10/1984 को क्रय कर कब्जा प्राप्त किया तभी से लालू के हिस्से की 1/3 भूमि पर मुझ प्रार्थी का निरन्तर कब्जा चला आ रहा है। पंजीकृत बहनामा की फोटो प्रति संलग्न है।

खातेदार लालू का देहावसान दिनांक 22/5/1992 को हो चुका है एवं वह लाऔलाद फोत हुए है। वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या एक से पॉच के अलावा अन्य और कोई निकटस्थ विधिक वारिसान मृतक खातेदारी लालू के नहीं है।

वाद वर्णित कॉलम संख्या 1 में वर्णित आराजीयात के 1/3 हिस्सा जो मृतक लालू के नाम खातेदारी से दर्ज है उसका खातेदार काश्तकार वादी को घोषित किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उपरोक्त हिस्सा वादी के नाम खातेदारी से दर्ज किया जाना आवश्यक है। चूॅकि मृतक खातेदार लालू का हिस्सा वादी ने जरिये पंजीकृत बहनामा क्रय कर कब्जा प्राप्त किया एवं वर्तमान में भी लालू के हिस्से की भूमि पर वादी का ही कब्जा जमीन खरीदी तभी से ही निरन्तर चला आ रहा है एवं काश्त वादी कर रहा है। एवं मृतक खातेदारी गंगाबाई व नारायणी का हिस्सा प्रतिवादी संख्या तीन, चार व पॉच के नाम दर्ज किया जाना आवश्यक है।

वादी ने आराजीयात क्रय करने के बाद जमीन अपने नाम पर कराने के लिये पंजीकृत बहनामे की प्रति संबंधित पटवारी हल्का को दो दीन बाद ही दे दी गई थी एवं पटवारी हल्का ने वादी को विश्वास दिलाया कि जमीन वादी के नाम कर दी जावेगी। उसके बावजूद भी जमीन वादी के नाम पर सम्बन्धित राजस्व कर्मचारियो द्वारा अभी तक दर्ज नहीं की गई जिसकी जानकारी वादी को के0सी0सी0 बनवाने हेतु दिनांक 13/5/2019 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त करने से हुई। तब वादी ने प्रतिवादी संख्या छह भूमिधारी तहसीलदार साहब से मिल जमीन अपने नाम पर कराने हेतु निवेदन किया तो उन्होनें असमर्थता जाहिर की एवं कहा कि सक्षम न्यायालय में दावा पेश करके ही कार्यवाही हो सकती है तत्पश्चात वादी ने कानूनी सलाहकार से मिल राय ली एवं आवश्यक राजस्व संबंधी नकले प्राप्त की एवं नकल मिलते ही बिना किसी विलम्ब के यह वाद पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है।

अन्त में प्रार्थना की कि पक्षवादी खिलाफ प्रतिवादीगण खातेदारी घोषणा की डिक्री इस अमर की जारी की जावे की [illegible] की कॉलम संख्या एक में वर्णित आराजीयात खसरा नम्बर का 1/3 [illegible] खातेदार लालू के नाम दर्ज है उसके स्थान पर वादी को पंजीकृत बहनामे के आधार पर खातेदारी काश्तकार घोषित

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:05 IST
Reason: SelfAttested

किया जाकर राजस्व रेकार्ड में उक्त लालू का 1/3 हिस्सा वादी के नाम दर्ज किये जाने की डिक्री प्रदान की जावे। एवं मृतक खातेदार गंगाबाई व नाराणी के हिस्से का खातेदारी काश्तकार प्रतिवादी संख्या तीन, चार व पॉच को घोषित कर राजस्व रेकार्ड में उनके नाम दर्ज किया जाने की डिक्री प्रदान की जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया प्रतिवादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री कैलाश चन्द्र वैष्णव का अधिकार पत्र व जवाब इकबालिया प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी की प्रार्थना स्वीकार किये जाने में हम प्रतिवादीगण को कोई एतराज नहीं है। वादपत्र स्वीकार फरमाया जावें। और जवाब दावा की ताईद में शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

साक्ष्यवादी में वादी की ओर से मांगू पिता लोबा जाति जटिया का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ जिसमें मृतक लालू के हिस्से पर वादी उदयलाल का कब्जा होना जाहिर किया व वादी उदयलाल का शपथ पत्र. प्रस्तुत जिसमें हाल जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 मौजा लांगच की प्रस्तुत की जो प्रदर्श–1 है साबिक जमाबन्दी प्रदर्श–2 है मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 है असल पंजीकृत बहनामा वादग्रस्त आराजीयात प्रदर्श–4 जिसकी छायाप्रति मय प्रदर्श 4–ए है जिसपर एक स्थान पर विक्रेता लालू की अंगूठा निशानी है । वादपत्र में प्रस्तुत समस्त तथ्यों को शपथ पत्र में दौहराते हुए वादी ने सही ठहराया है।

बहस पत्रावली उभयपक्ष अधिवक्ता सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। मृतक नाराणी व गंगाबाई के इन्तकाल हेतु सक्षम स्तर पर विधिवत् कार्यवाही हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जावें। वाद वादी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर यह निर्णय दिया जाता है कि मौजा लांगच पटवार हल्का लांगच तहसील कपासन में आराजी खसरा नम्बर 345 रकबा 0.68 है0 , 346 रकबा 0.55 है0 , 347 रकबा 0.10 है0 , 349 रकबा 0.55 है0 , 352 रकबा 0.15 है0 कुल किता 05 कुल रकबा 2.03 है0 में दर्ज लालू पुत्र होकमा हिस्सा 1/3 जाति खटीक सा. देह खातेदारी के बजाय उदयलाल पुत्र हरलाल जाति खटीक निवासी लांगच के नाम राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद की जाने का आदेश दिया जाता है।

शेष बद्स्तुर रहें। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2021.06.14 15:30:05 IST
Reason: SelfAttested

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन